उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-207/2017/2024/92-2-17-58जांच/2016
लखनऊ:: दिनांक:: 04 दिसम्बर,2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद के कार्यो से संबंधित सूचना न उपलब्ध कराने, शासन तथा उच्चाधिकारियों के निर्देशों की लगातार अवहेलना में संलिप्त रहने आदि अनियमितताओं में प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-42/ 2016/1512/92-2-2016-58जांच/2016 दिनांक 08-08-2016 द्वारा श्री हसनैन अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने तथा प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। निलम्बन अवधि में श्री हसनैन अहमद को, मुख्यालय, (कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता) से सम्बद्व किया गया। कालान्तर में जांच कार्यवाही में शीघ्रता के द्रष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1655/92-2-16-58जांच/2016 दिनांक 12-09-2016 द्वारा जॉच अधिकारी परिवर्तित करते हुये अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर के स्थान पर मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री हसनैन अहमद को शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-64/2016/1857/92-2-16-58जांच/16 दिनांक 20-10-2016 द्वारा तत्कालिक प्रभाव से बहाल कर दिया गया। जांच अधिकारी की जॉच आख्या दिनांक 22-06-2017 को शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिस पर श्री हसनैन का अभ्यावेदन प्राप्त किया गया।

2- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप सं0-1 पूर्णरूप से एवं आरोप संख्या-2 आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया है, किन्तु किसी प्रकार की गम्भीर त्रुटि दृष्टिगत न होने के कारण शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-42/2016/1512/92-2-2016-58जांच/2016 दिनांक 08-08-2016 द्वारा श्री हसनैन अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को, उन्हें भविष्य के लिये चेतावनी देते हुये एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-207/2017/2024(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री हसनैन अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http:// hasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।